



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jda@jodhpur@yahoo.com or jodhpur@jodhpur.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/4638

दिनांक: 28/08/2018

-:कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले आउट प्लान) की 06/2018 वीं बैठक दिनांक 23.08.2018 को प्रातः 9:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरिथत सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	1	मिश्रित भू-उपयोग में अनुज्ञेय उपयोगों के संबंध में नीतिगत निर्णय	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031-(प्रारूप) में कई स्थानों पर मिश्रित भू-उपयोग दर्शाया गया है। मिश्रित भू-उपयोग में अनुज्ञेय भू-उपयोगों के संबंध में डीसीआर निर्धारित नहीं होने के कारण वर्तमान में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही मास्टर प्लान पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 106 पर 'इस मिश्रित भू-उपयोग में जोनिंग रेगुलेशन के अनुरूप विकास नियंत्रित रहेगा' का उल्लेख है। जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान मास्टर प्लान 2025 में मिश्रित भू-उपयोग में अनुज्ञेय भू-उपयोगों के संबंध में प्रावधान निर्धारित है, जिसकी प्रति सलगन है। अतः उक्त के संबंध में समिति द्वारा नीतिगत निर्णय जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
2.	2	राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 584 मीन के रकबा 15.00.00 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री लालबहादुर शास्त्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर जरिये श्रीमती प्रियंका गोदारा (जोन पूर्व)	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को खसरा संख्या 585/7 में से 40 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। खसरा संख्या 585/7, खसरा संख्या 587/7 मीन से लिक है। खसरा संख्या 587/7 मीन जोधपुर-जोधपुर मैन हाईवे पर स्थित है। खसरा संख्या 587/7 मीन व 585/7 के खातेदारों से रास्ते बाबत समर्पणनामा लिया जाना अपेक्षित है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदन के साथ प्रस्तुत राजस्व नक्शे में त्रुटि नहीं है। सम्पूर्ण खसरा संख्या 584 का रेव्यू मैप प्रस्तुत किया गया है। राजस्व नक्शे के अनुसार नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 01/07/10 में राजस्व ग्राम बनाड़ के संबंध में राजस्व मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्त समस्या के निराकरण बाबत पट्टाग्रहिता से आण्डरलेकमें प्राप्त कर पट्टा जारी किया जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। 3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) की डीसीआर अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग पर शैक्षणिक (किंडर गार्डन, क्रेच, नर्सरी, प्राइमरी) गतिविधियां अनुज्ञेय की सकती हैं। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्रार्थी को पत्र लिखा जाकर किस स्तर की शैक्षणिक गतिविधि चाही गयी है स्पष्ट करके हुए मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार आवश्यक पहुंच मार्ग की उपलब्धता उपरान्त आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
3.	3	राजस्व ग्राम देवलिया के खसरा संख्या 64/5 के रकबा 05.02.00 बीघा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- डॉ. मंजुला चौधरी पत्नी श्री बद्रीराम चौधरी (जोन पूर्व)	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्रकरण में प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की मौका-रिपोर्ट अनुसार मौके पर स्विमिंग पूल व रेस्टोरेण्ट संचालित है। अस्तवत्, टिनशेड व पक्का निर्माण है तथा निर्माण कार्य भी चल रहा है। आवेदित भूमि की तरमीम, नई ही पक्का दस्तावेज में में पडोस दर्शाये गये हैं। नक्शे के प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में पंजीकृतता हो गई है। मौके पर एच. टी. लाईन, घरेलू इलेक्ट्रीक लाईन व ट्रांसफॉर्मर है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित खसरा संख्या 64/5 का कुल रकबा 15 बीघा है जिसमें से आवेदक की 5-02 बीघा की खातेदारी है। भूमि समुचित खातेदारी का है। 3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार मिश्रित भू-उपयोग हेतु आरक्षित है, मिश्रित भू-उपयोग की डीसीआर नहीं बनी होने से उक्त गतिविधि अनुज्ञेय किये जाने अथवा नहीं किये जाने बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर स्थित होने से 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी अपेक्षित है। 5. आवेदित भूमि में से इलेक्ट्रीक लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता बाबत रिपोर्ट लिये जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर नहीं बनी होने से प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

4.	4	<p>राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 17/9 के रकबा 00.08.19 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- के एस मेमोरियल एज्युकेशन ट्रस्ट जोधपुर जरिये श्री परीक्षित सिंह (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग खसरा संख्या-17/1 के अनुमोदित ले-आउट प्लान से 40 फीट प्राप्त हो रहा है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या-17/1 के खातेदार से समर्पणनामा प्रस्तुत किया है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में ले-आउट में दर्शाये अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट व उत्तर-पश्चिम में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 30 रखा जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लविट है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी स्वयं की होगी।
5.	5	<p>राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 134/77, 136/77 के रकबा 10.07.14 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री अणदाराम पुत्र श्री खेताराम वगैरहा जरिये आम मुख्तयार श्रीमती ज्योत्सना सिंह (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार खसरा संख्या-134/77 के खातेदारों द्वारा कुल रकबा-15 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि का तथा खसरा संख्या-136/77 के खातेदारों द्वारा कुल रकबा-03 बीघा भूमि में से 00.07.14 बीघा भूमि का संयुक्त आवेदन पेश किया है। खसरा संख्या-136/77 के खातेदारों द्वारा कुल रकबा-03 बीघा भूमि में से 2.12.03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ पृथक आवेदन पेश किया गया है। दोनों खसरों के खातेदारों द्वारा कुल रकबा-10.07.14 बीघा का संयुक्त आवेदन पेश किया गया है, जिसका सहमति-पत्र पेश किया गया है, जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या-8 व 9 पर संलग्न है। तहसीलदार(राजस्व), जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि नदी के पास स्थित है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान के विन्दु संख्या-बी से सी घरेलू एल0टी लाईन भी गुजर रही है एवं ले-आउट प्लान के विन्दु संख्या-सी से डी के आगे जोजरी नदी स्थित है। आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि में से एक एल0टी लाईन भी गुजर रही है। 2. आवेदित भूमि का भू उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय व आंशिक भाग नदी के सहारे-सहारे दर्शाये गये वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) डी0सी0आर अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भू-उपयोग में न्यूनतम 40 फीट पहुँच मार्ग पर शैक्षणिक गतिविधियों अनुज्ञेय की जा सकती है तथा पहुँच मार्ग की चौड़ाई के अनुसार विभिन्न स्तर की शैक्षणिक गतिविधियों अनुज्ञेय की जा सकती है। आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में नदी स्थित होने से नदी की सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जानी प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व में राजस्व रास्ता स्थित है, जिसका मार्गाधिकार प्रस्तावित ले-आउट प्लान में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट दर्शाया गया है। अतः उक्त सड़क के मार्गाधिकार बाबत् निर्णय समिति द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। 4. उक्त खसरे की भूमि से लगते हुये एक अन्य खसरे का प्रकरण (खसरा संख्या-136/77) आवासीय प्रयोजनार्थ प्रक्रियाधीन है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में ले-आउट में दर्शाये अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट व दक्षिण-पश्चिम में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 रखा जावे। 2. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में नदी स्थित होने से नदी की सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन की क्षमता व एल.टी लाईन का अकॉन जोन पटवारी से करवा कर नियमानुसार सेफटी-कोरीडोर रखा जावे। 4. नगरीय विकास एवम् आवासन के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-iv जयपुर दिनांक 22.06.2017 के विन्दु संख्या 2 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोड़े जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि, भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, ऑवरहेड वॉटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

			<p>5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी स्वयं की होगी।</p>
6.	6	<p>राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 136/77 के रकबा 02.12.03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री केशुराम पुत्र श्री शिवलाल (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। आवेदक द्वारा कुल रकबा-3 बीघा भूमि में से 2.12.03 बीघा भूमि के नियमन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार(राजस्व), जौधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि नदी के पास स्थित है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सड़क भाग से धरलू एल.टी लाईन भी गुजर रही है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का भू उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय व आंशिक भाग नदी के सहारे-सहारे दशांशे गये वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) डी0सी0आर अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भू-उपयोग में आवासीय गतिविधियाँ अनुज्ञेय की जा सकती है। आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में नदी स्थित होने से नदी की सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जानी प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व में राजस्व सारता स्थित है, जिसका मार्गाधिकार प्रस्तावित ले-आउट प्लान में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट दर्शाया गया है। अतः उक्त सड़क के मार्गाधिकार बाबत निर्णय समिति द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। 4. उक्त खसरे की भूमि से लगते हुये एक अन्य खसरे का प्रकरण (खसरा संख्या-134/77 व 136/77) शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रक्रियाधीन है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में ले-आउट में दर्शाये अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में नदी स्थित होने से नदी की सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन की क्षमता व एल.टी लाईन का अंकन जोन पटवारी से करवा कर नियमानुसार सेफटी-कोरीडोर रखा जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी स्वयं की होगी।
7.	7	<p>राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 123 के रकबा 00.17.11 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती प्रिया यादव पत्नि श्री राजकुमार यादव (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग 100 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.05.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की जानी है। 3. जोन स्तरीय ले-आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23.09.2009 में ग्राम डिगाडी की खसरा संख्या 123, 123/1 रकबा 67.06 बीघा का ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया। बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 67 पर व ले-आउट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 50 पर सलमन है। पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 123, 123/1 की भूमि उचियारडा रोड के उत्तर दिशा में स्थित है व आवेदित भूमि रोड के दक्षिण दिशा में स्थित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित जोधपुर-उचियारडा सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट रखा जाना होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

			<p>लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादासी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
8.	8	<p>राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 127/3 के रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का शैक्षणिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री आनन्द भूतडा व अन्य (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार भू-उपयोग सडक, सडको के चौराहो पर बनने वाले सर्कल व कॉर फंसिलिटी एरिया प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की रिपोर्ट अनुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शाये अनुसार कॉर फंसिलिटी एरिया में न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षेत्र पार्क, खुला स्थल, खेल मैदान, चिल्ड्रन पार्क एवं अन्य सुविधा क्षेत्र हेतु तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु रखा जाना होगा। शेष 60 प्रतिशत क्षेत्र में शॉपिंग सेन्टर, हॉस्पिटल/डिस्पेन्सरी, स्कूल (प्राइमरी/मिडिल) एवं अन्य सामुदायिक सुविधा विकसित की जा सकेगी। अन्य सुविधाओ का निर्धारण सेक्टर प्लान तैयार करते समय कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा किया जा सकेगा। 2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मुख्य शिकारगढ रोड पर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031(प्रारूप) में प्रस्तावित सर्कल का व्यास लगभग 650 फीट है तथा उक्त सर्कल से आवेदित भूमि भी प्रभावित है। 3. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। 4. जोन की चैक लिस्ट अनुसार मौके पर स्कूल संचालित है, प्रार्थी द्वारा प्रकरण में नियमन हेतु प्राधिकरण में कुल राशी 57,86,148/- जमा करवाई गई है जिसमें निर्माण शास्त्र के पेटे 50,000/- जमा करवाये गये है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित जोधपुर-उचियारडा सडक का मार्गाधिकार 160 फीट रखा रखा जावे। 2. 3. नगरीय विकास एवम् आवासन के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010पार्ट-iv जयपुर दिनांक 22.06.2017 के बिन्दु संख्या 2 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोड़े जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि, भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, ऑवरहेड वॉटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी तो संबन्धित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादासी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9	9	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 406, 406/2 के रकबा 07.18.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री बाबुलाल पुत्र श्री कालूराम, (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आऊट प्लान में झालामण्ड से गुड्ड जाने वाली सडक का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित किया गया है तथा जोन की चैक लिस्ट अनुसार उक्त सडक मौके पर 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अत उक्त सडक के मार्गाधिकार के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. जोन की चैक लिस्ट अनुसार उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। आवेदित भूमि में से 406/2, रकबा 5-18 बीघा की विधि रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार कोई विधिक आपत्ति नहीं है। खसरा संख्या 406/2 व 406, कुल रकबा 7-18 बीघा की रिपोर्ट हेतु विधि शाखा में नोटिस प्रेषित किया जा चुका है, रिपोर्ट प्राप्त होनी शेष है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में स्थित जोधपुर-गुडा विश्‌नोईयान् सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे। 3. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या

श्री आनन्द भूतडा व अन्य

			<p>250 पर उल्लेखित विन्दु संख्या (XVII) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारीक सरचना सुविधाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावे।</p> <p>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डों के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
10.	10	<p>राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 49/1 के रकबा 12.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हरचन्द (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मुख्य सड़क खारडा रणधीर का मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अंतर्गत 120 फीट रखा गया है। आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधियाँ अनुज्ञेय हैं। 2. प्रार्थी द्वारा कुल खातेदारी भूमि 17.07 बीघा भूमि में से 12.00 बीघा भूमि हेतु ही आवेदन किया गया है। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में अनुमोदित कालोनी की सड़कों का मिलान किया जाना अपेक्षित है। 4. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान की 120 फीट सड़क पर स्थित है। आवेदक द्वारा कुल खातेदारी भूमि 17-17 बीघा में से 12 बीघा के नियमन हेतु आवेदन पेश किया है। आवेदित योजना के पश्चिमी दिशा में खसरा संख्या 49 ग्राम खारडा रणधीर एवं दक्षिणी दिशा में ग्राम बासनी वैदा के खसरा संख्या 35/3 का योजना मानचित्र प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उत्तर दिशा में स्थित खारडा रणधीर जाने वाली मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट रखा जावे। 2. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शाये गये ओसीएफ/पार्क का क्षेत्रफल 4.97 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है जिसे न्यूनतम 05 प्रतिशत रखा जाना होगा। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल का निगमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डों के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
11.	11	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86 के रकबा 8427.77 वर्गगज भूमि का आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री घीसाराम पुत्र श्री धनजी पंवार व अन्य (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर डायियावास बाईपास पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी अपेक्षित है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट रोड, जोधपुर से जयपुर डायियावास बाईपास पर स्थित है। मौके पर 8 दुकाने निर्मित, 1 धर्मकाटा व चारे की टाल संचालित है। शेष भूमि पर चारदीवारी निर्मित है। आवेदित भूमि में से मदनलाल के हिस्से को छोड़ शेष भूमि (7353.13 वर्गगज) की 90-वी की जाकर नामान्तरण नगर विकास न्यास, जोधपुर के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। 3. प्रकरण में पत्रावली के पैरा संख्या एन/4 पर निदेशक आयोजना द्वारा आवेदित भूमि के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में स्थित सड़कों के सवध में चाही गयी जानकारी के कम में पत्रावली के पैरा संख्या एन/6 अवलोकनीय है जिसके अनुसार भूमि के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में स्थित सड़कों में आवेदकों की भूमि भी सम्मिलित है परन्तु ले-आउट प्लान में पटवारी द्वारा किये गये सुपरइम्पोज में सड़कों की भूमि सम्मिलित नहीं की गयी है। 4. आवेदित भूमि में स्थित व्यवसायिक निर्माण के सवध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि की तरफ़ीम नही होने से प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

12	12	<p>राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 102, 103 के रकबा 00.18.15 बीघा भूमि का आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री घोकलराम पुत्र श्री प्रतापराम (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है। भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) में मिश्रित भू-उपयोग की डी0सी0आर बनी हुयी नहीं है। आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर डांगियावास बाईपास पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण प्रट्टी रखी जानी है। 2. जोन की बैंक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर डांगियावास 100 फीट सड़क पर स्थित है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 102, 103 कुल रकबा 19 बिस्वा हेतु आवेदन पेश किया गया था किन्तु राजस्व मानचित्र में खसरा संख्या 103 की तरमीन नहीं थी, तथा तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में पेश किया गया कि खसरा संख्या 103 सड़क सीमा में होने के कारण संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 102, रकबा 18 बिस्वा 15 बिस्वाशी भूमि का ही नियमन हेतु निवेदन किया है। 3. प्रस्तुत मानचित्र में खसरा संख्या-102 व 103 रकबा-00-19 बीघा का उल्लेख है परन्तु आवेदन अनुसार केवल 102 रकबा 00-18-15 बीघा का ही है तथा सुपरईम्पोज भी खसरा संख्या-102 रकबा 00-18-15 बीघा का किया गया है, अतः संशोधित मानचित्र अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर नहीं बनी होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
13	13	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 23/1 के रकबा 534.37 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक (इन्फोर्मल) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री जयनारायण पुत्र श्री पूनमचन्द्र लोहिया (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 08.09.2010 के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.10.2010 द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण में वर्तमान में पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाये गये व्यवसायिक (इन्फोर्मल) क्षेत्र का विस्तृत ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। 2. प्रार्थी द्वारा कुल क्षेत्रफल-534.19 वर्गमीटर का प्लान प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार व्यवसायिक (इन्फोर्मल) का क्षेत्रफल-557.42 वर्गमीटर होता है, अतः ले-आउट प्लान में भवन विनियम व राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी के प्रावधानानुसार संशोधन अपेक्षित है। 3. अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाये गये कुल व्यवसायिक क्षेत्र में से प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 100 फीट बाई 100 फीट का व्यवसायिक का एकल पटटा जारी किया हुआ है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त ओ.सी.एफ हेतु आरक्षित भूमि में व्यवसायिक (इन्फोर्मल) अनुज्ञेय नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
14	14	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 23/1 के रकबा 728.46 वर्गमीटर भूमि का ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी-ए प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री जयनारायण पुत्र श्री पूनमचन्द्र लोहिया (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 08.09.2010 के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.10.2010 द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण में वर्तमान में पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाये गये एल0आई0जी-एच क्षेत्र का विस्तृत ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। 2. प्रस्तावित ले-आउट प्लान में ई0डब्लु0एस का प्रावधान नहीं किया गया है, उक्त का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। 3. प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में प्रस्तावित कुछ एल0आई0जी भूखण्डों का क्षेत्रफल निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक है, अतः ले-आउट में आवश्यक संशोधन अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त ओ.सी.एफ हेतु आरक्षित भूमि में ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी0एच अनुज्ञेय नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया।</p>
15	15	<p>राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 746/2 के रकबा 01.00.00 बीघा भूमि का हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री करनाराम पुत्र श्री देवाराम, (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण को पूर्व में ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2016 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था, तत्समय आवेदित भूमि मास्टर प्लान-2023 से बाहर होने से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग कटान रास्ते से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार जोन की बैंक लिस्ट अनुसार 40 फीट है। 3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031(ड्राफ्ट) अनुसार हाइवे कॉरिडोर जोन (यू-3) हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हाइवे कॉरिडोर जोन (यू-3) में 100 फीट व उससे अधिक की चौड़ाई पर अनुज्ञेय है। 4. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोन की बैंक लिस्ट अनुसार 40 फीट है एवं डी.सी.आर अनुसार 100 फीट व उससे अधिक की चौड़ाई पर अनुज्ञेय है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) की डीसीआर अनुसार 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>

(Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page)

16.	16	<p>राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 68/5 के रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री प्रहलादराम (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान की डी.सी.आर अनुसार न्यूनतम 40 फीट पहुँच मार्ग पर फॉर्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। 2. पत्रावली के पैरा एन-10 पर भू-उपयोग की रिपोर्ट अनुसार उक्त राजस्व ग्राम पर आपत्ति दर्ज है, जो कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या-20 पर संलग्न है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को जो0वि0प्रा द्वारा पूर्व में अनुमोदित फॉर्म हाउस योजना राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या-67/1, 84/1, 84/1/1 व 68/22 में से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध है। 4. आवेदित भूमि में से एक एच0टी लाईन गुजर रही है, पत्रावली के पैरा एन-14 पर जोन पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त एच0टी लाईन की क्षमता 33 कें0वी है। जिस से नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी छोड़ी जानी है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार ले-आउट प्लान में दशांशे अनुसार 60 फीट रखा जाना होगा, उक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. आवेदित भूमि से गुजर रही 33 केंवी लाईन पर नियमानुसार साफ0-कॉरिडोर रखा जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौकों पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, याद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पजीयन एवम मुद्दाक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकडों में रजिस्ट्ररी न की जावे।
17.	17	<p>राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 216/1, 215/5, 216/6 के रकबा 02.18.18 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री प्रवीण परिहार पुत्र श्री नेमाराम (जोन-पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भू-उपयोग में औद्योगिक गतिविधिया अनुज्ञेय है। 2. जोन की चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मार्गाधिकार हेतु निजी खातेदार द्वारा सहमती दी गयी है, खसरा संख्या-216/9, 216/12 व 216/8 खातेदारी में से मार्ग हेतु समर्पित। योजना में पहुँच मार्ग पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या-612 की निजी खातेदारी में से उपलब्ध हो रहा है, परन्तु कटाण उपलब्ध नहीं है। निजी खातेदार हेतु सहमति पेश की गयी है, परन्तु समर्पण नहीं हुआ है। 3. आवेदित भूमि तक औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 80 फीट का समर्पणनामा नही होने से प्रकरण में नियमानुसार समर्पणनामा प्राप्त होने के उपरान्त आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
18.	18	<p>राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 211/1 के रकबा 04.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री डुंगरवन्द छाजेड पुत्र श्री हस्तीमल (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर 2023 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 160 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार रिको की योजना में 150 फीट रखा गया है तथा मौकों पर निर्मित है। 2. प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन वाहा गया है, मास्टर प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों अनुज्ञेय है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट आवेदित भूमि पर पहुँच मार्ग 60 फीट का खसरा संख्या-211/4 का कटाण मार्ग पर उपलब्ध है एवं वेयर हाउस का निर्मित एवं संचालित पाया गया। 4. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में उपलब्ध सारते के सम्बन्ध में चैक लिस्ट के विन्दु संख्या 20 में व्यौरा अंकित है एवं सारते हेतु खसरा संख्या 211/4 रकबा 02.01.06 बीघा भूमि नामा संख्या 2397 दिनांक 20.08.2017 को राजकीय खाते में दर्ज है व वेयर हाउस निर्मित एवं संचालित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 160 फीट रखा जावे, उक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

			<p>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
19	19	<p>राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 746/1 के रकबा 10.09.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री खीवराज, श्री हीरालाल व श्री जसाराम (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधियाँ अनुज्ञेय है।</p> <p>2. जोन की बैंक लिस्ट में उल्लेखित प्राधिकरण के पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित रिषम नगर आवासीय योजना (राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या-694/1, 696, 697) का ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया है, जिससे आवेदक की भूमि को 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।</p> <p>3. प्रकरण में आवेदित भूमि तक 30 फीट पहुँच मार्ग बाबत राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या-694/1, 696, 697 का ले-आउट पत्रावली के पृष्ठ संख्या-29 पर संलग्न है, उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।</p> <p>4. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2016 के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के क्षेत्रफल के आधार पर पहुँच मार्ग निर्धारित किये गये हैं, उक्तानुसार आवेदित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट आवश्यक है जो कि प्रस्तावित योजना को प्राप्त नहीं हो रहा है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण को 40 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने पर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
20.	20	<p>राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 247 के रकबा 05.00.00 बीघा भूमि का मोटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री मंगलाराम पुत्र श्री तेजाराम जरिये आममुख्यार श्री भरताराम पुत्र श्री मंगलाराम (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानों अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में मोटल गतिविधियाँ अनुज्ञेय है तथा मुख्य बाडमेर सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट व मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है।</p> <p>2. जोन की बैंक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के मध्य एल.टी लाईन स्थित है जिससे नियमानुसार दूरी छोड़ी जानी प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर नहीं बनी होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
21.	21	<p>राजस्व ग्राम नारवां खिचियान् के खसरा संख्या 505 के रकबा 06.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री राणाराम पुत्र श्री देवाराम (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के बाहर तथा जोधपुर मास्टर प्लान-2031 प्रारूप अनुसार यू-2 क्षेत्र में स्थित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू-2 क्षेत्र में न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की उपलब्धता पर फार्म हाउस अनुज्ञेय है।</p> <p>2. जोन बैंक लिस्ट अनुसार पटवारी रिपोर्ट अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट रास्ता पडौस के खातेदारी के खसरा में से वर्तमान में उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ तरमीम नक्शा एवं जमाबंदी की छायाप्रति पेश कर ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>3. प्रकरण को पूर्व में ले-आउट प्लान की बैठक दिनांक 08.06.2018 में लिए गये निर्णय अनुसार आवेदित भूमि तक आवश्यक पहुँच मार्ग 60 फीट उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण को निरस्त किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संशोधित जमाबंदी व खसरा मानचित्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रस्तुत संशोधित जमाबंदी में "नामा. सं. 1293 दिनांक 25.06.2018 आदेश द्वारा खसरा संख्या 505/1 रकबा 00-18 बीघा किसम गै.मु.रास्ता राणाराम, रावलराम पि. देवाराम मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ। शेष बदस्तुर रहा" का उल्लेख है। साथ ही संशोधित खसरा मानचित्र में आवेदित भूमि तक मुख्य सड़क से कटाण रास्ता दर्शाया है जिसकी चौड़ाई का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार 60 फीट रखा जाना होगा, उक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जानी होगी।</p> <p>2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p>

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

			<p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकब की होगी।</p> <p>5. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</p>
22.	22	<p>राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 82/6, पुराना खसरा संख्या 82/1/4 के रकबा 03.19.04 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री लालाराम पुत्र श्री कोजाराम (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार यू-2 व आंशिक भाग नाले के सहारे-सहारे दर्शाये गये वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू-2 क्षेत्र में 60 फीट व उससे अधिक की चौड़ाई की सड़कों पर फार्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। 2. आवेदित भूमि नारनाडी से डोली जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार ले-आउट प्लान में 100 फीट प्रस्तावित किया गया है तथा आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में नाला स्थित है, जिस पर नाले के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार सुपर इम्पोज किये गये मानचित्र में राजस्व नक्शा व प्रस्तावित ले-आउट प्लान में अन्तर है, अतः सुपरइंपोज सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि का ही का ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते को 40 फीट रखा जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकब की होगी। 7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित नारनाडी से डोली जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार 100 फीट रखा जावे, उक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे। 2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में गोलासनी नदी स्थित है, जिस पर नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार सुपर इम्पोज किये गये मानचित्र में राजस्व नक्शा व प्रस्तावित ले-आउट प्लान में अन्तर है, अतः सुपरइंपोज सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि का ही का ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते को 40 फीट रखा जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकब की होगी। 7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।
23.	23	<p>राजस्व ग्राम लुणावास चारणान् खसरा संख्या 348/172, 349/172, 350/172 व खाटावास खसरा संख्या 461 दोनो खसरों का कुल रकबा 09.10.00 बीघा भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री भरताराम पुत्र श्री मंगलाराम व अन्य (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) अनुसार यू-3 (हाइवे कॉरिडोर), सड़क व प्लान्टेशन हेतु आरक्षित है तथा मुख्य वाडमेर सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट व सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू-3 (हाइवे कॉरिडोर जोन) में 100 फीट व उससे अधिक की सड़को पर रिसोर्ट अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर-वाडमेर सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट है, अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट व सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित वाडमेर सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे, तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टियर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टियर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकब की होगी। 6. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

			को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्री न की जावे।
24	24	राजस्व ग्राम मणाई के खसरा संख्या 215, 233/1/2, 232 गीन 233/1/1 के रकबा 32.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (योजना) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री रामजीवन पुगलिया पुत्र श्री रणछोडदास (जोन-उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रकरण पूर्व में वीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 15.12.2017 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया- प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति एल.पी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीम नहीं है और मौके पर आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण में निम्न निर्णय लिया गया - • मौके पर स्थित विद्युत लाईनों के संबंध में मौका रिपोर्ट लिये जाने बाबत् उपायुक्त को निर्देशित किया गया। • फार्म हाउस संपरिवर्तन हेतु प्राप्त प्रकरणों में समिति द्वारा निदेशक आयोजना को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के विन्दु संख्या 6.00 (i) के परिपेक्ष्य में न्यूनतम पहुंच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने बाबत् निर्देशित किया गया। • आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीम नहीं होने एवं न्यूनतम पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. उपरोक्त निर्णय के क्रम में आवेदक द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में टिप्पणी पत्रावली के विन्दु संख्या 63 पर एवं शपथ-पत्र पत्रावली के पृष्ठ संख्या 48-49 पर संलग्न है व पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली विन्दु संख्या 65 व राज्य सरकार को भेजा जाने हेतु लिखा जाकर पत्रावली के पृष्ठ संख्या 50 पर संलग्न है। 3. पूर्व में बैठक में दिनांक 15.12.2017 में रखे गये एजेण्डे की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 44 पर संलग्न है। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित मणाई से औसियां जाने वाली मुख्य मार्ग का मार्गाधिकार 160 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 80 फीट छोड़ा जावे, तथा आवेदित भूमि के दक्षिण से पूर्व जाने वाले कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट छोड़ा जावे। साथ ही शेष अन्य आन्तरिक सड़कें आवेदक के प्रस्ताव अनुसार 60 फीट रखी जावे। उपरोक्त समस्त मार्गाधिकारों हेतु भूमि प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जावे जिसकी सुनिश्चिता उपायुक्त स्तर पर की जावे। 2. उपरोक्त सड़कों की सुनिश्चिता करते हुये टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र रखा जावे, तथा दो भिन्न उपयोगों के मध्य 10 फीट का पाथ-वे छोड़ा जावे। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर विद्युत लाईन हटावे जिसकी सुनिश्चिता उपरान्त जोन द्वारा पटटे जारी किये जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डों का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. अनुमोदित भूखण्डों का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्री न की जावे।
25	25	राजस्व ग्राम मणाई के खसरा संख्या 165/1 के रकबा 03.00.00 बीघा भूमि का कृषि आधारित प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री पुखराज देवडा पुत्र श्री प्रेमराम (जोन-उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 40 फीट सड़क पर स्थित है व मौके पर कुछ भू-भाग पर निर्माण हो रखा है। जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। 2. वर्तमान में वीपीसी(एलपी) बैठक दिनांक 07.02.2018 में लिये गये न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर व सम्पर्क सड़क 24 मीटर आपेक्षित है। आवेदित भूखण्ड जोन चैक लिस्ट/प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 40' सड़क से मार्गाधिकार दर्शाया गया है। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर कदमी रास्ता चल रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे जिसकी पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
26	26	राजस्व ग्राम भौसेर कुतडी के खसरा संख्या 101, 101/1 के रकबा 06.15.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि सड़क पर स्थित है जो तरमीमसुदा राजस्व नक्शों में दर्ज है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2023 से वाइर एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, जिसमें 40 फीट (12

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

		<p>आवेदक :- श्री अणदाराम वगैरहा (जोन-उत्तर)</p>	<p>मीटर) व अधिक मार्गाधिकार पर फार्म हाउस अनुज्ञेय है तथा आपत्ति सुझाव अनुसार कोई आपत्ति दर्ज नहीं है।</p> <p>3. पृष्ठ संख्या 12 संलग्न खसरा मानचित्र में आवेदित भूमि के सामने 4 लाईने दर्शा रखी है। अतः राजस्व रास्ते हेतु 2 लाईनों के अलावा दर्शित 2 लाईनों बाबत उपायुक्त से स्पष्ट राय/टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। जिसके कम में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर सड़क विद्यमान है।</p> <p>4. मार्गाधिकार व पहुँच मार्ग के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि को छोड़कर सड़क दर्शायी गयी है, अतः मौका स्थिति अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित खसरे की सीमा की दूरी बाबत टिप्पणी जोन से प्राप्त की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पञ्जीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।
27.	27	<p>राजस्व ग्राम मथानिया-द्वितीय के खसरा संख्या 35/20 के रकबा 03.00.00 बीघा भूमि का कृषि आधारित प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री नर्मदा (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। मौके पर एल.टी. लाईन गुजरती है। जिसे स्वयं के खर्च पर हटाने हेतु प्रार्थीनी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 60 फीट रोड दर्शाई है तथा पूर्व दिशा में 15 फीट रोड दर्शाई गई है। जो.वि.प्रा. द्वारा कृषि आधारित उद्योग हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 व.मी व न्यूनतम सड़क 24 मीटर (80') निर्धारित कि गई है। प्रकरण में आवेदित क्षेत्रफल 3 बीघा (4856.23 व.मी) है तथा समपर्क सड़क व प्राप्त आपत्ति के परिपेक्ष में निर्णय समिति द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा की सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे, तथा दक्षिण की सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जावे, इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से क्रमशः 50 व 20 फीट छोड़ा जाकर प्राधिकरण के हक में निशुल्क समर्पित की जावे, जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। उक्त अनुमोदन कृषि आधारित उद्योग प्रयोजन एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 8. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पञ्जीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः

28	28	<p>राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 46/6 के रकबा 01.10.00 बीघा भूमि का आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री रमेश कुमार पंवार पुत्र श्री मदनलाल पंवार (जोन-उत्तर)</p>	<p>भविष्य में उक्त भूखण्ड की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</p> <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। जोन तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पर 80'X 80' फीट का पक्का हॉल डबल मंजिल भवन निर्मित है तथा 10'X10' फीट का आफिस व 20'X30' फीट का गायो का सेड बना हुआ है। उक्त आवेदित भूमि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड जोधपुर के पक्ष में रहन दर्ज है जिस बाबत कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा नियमन हेतु सशर्त एन.ओ.सी की प्रतिलिपी प्रेषित की है। 2. आवेदित भूमि का पत्रावली के बिन्दु संख्या-03 अनुसार मास्टर प्लान 2023 अर्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया है। 3. आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। जिस पर पूर्व में जो.वि.प्रा द्वारा खसरा संख्या 11/3, 11/8, 44/2, 44/7 राजस्व ग्राम खोखरिया का अनुमोदन मार्ग का मार्गाधिकार 60 रखते हुए किया गया है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में आवेदित भूमि को रहन मुक्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे। तथा उक्त की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
29	29	<p>राजस्व ग्राम भैसर कुतडी के खसरा संख्या 90, 90/1 के रकबा 33.13.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री लिछुराम पुत्र श्री पुनाराम (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 41'X45' का आवासीय पक्का मकान, 20'X15' का मन्दिर पूजा स्थल बना है तथा 10'X10' का पक्का कमरा व 10'X20' को शेड बना हुआ है। आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है जिस मौके पर प्रार्थी द्वारा अवरुद्ध किया हुआ है। 2. आवेदित भूमि का पत्रावली के पैरा संख्या 03 व पैरा संख्या 13 अनुसार भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिण भाग में रेलवे लाईन तिवरी-मथानिया रोड व उत्तर भाग में कटाण रास्ता स्थित है। उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आवेदित भूमि गुगल प्लान अनुसार रेलवे सीमा से लगभग 478 फीट की दूरी पर स्थित है व रेलवे सीमा से प्रभावित नहीं है। 3. आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित तिवरी-मथानिया रोड मास्टर प्लान में नहीं दर्शायी गयी है उक्त रोड एम.डी.आर (मेजर डीस्ट्रिक्ट रोड) श्रेणी की रोड है। तथा आवेदित भूमि के उत्तर में स्थित कटाण मार्ग है। उक्त दोनों मार्गों का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया प्रस्तावित है। 4. प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि से एक एच.टी लाईन व एक एल.टी लाईन से प्रभावित हो रही है। उक्त के संबंध में एच.टी लाईन व एक एल.टी लाईन की क्षमता बाबत मौका रिपोर्ट लिया जाकर तदनुसार मानचित्र पर सेफटी कोरिडोर/आर.ओ. डब्ल्यू का अंकन किया जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में मौके पर प्रार्थी द्वारा अवरुद्ध किये गये कटाण मार्ग को मुक्त करने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे। तथा उक्त की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
30	30	<p>राजस्व ग्राम पालडी खिचियानु के खसरा संख्या 79 के रकबा 21.13.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती कमला बाई भील (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण पूर्व में बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 17.04.2017 में रखा जाकर निर्धारित पहुँच मार्ग के अभाव में निरस्त किया गया, जिसके क्रम में आवेदक व जोन द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.03.2018 अनुसार पुनः प्रेषित किये गए हैं। साथ ही उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के पत्रांक 175 दिनांक 13.06.2018 के साथ आदेश दिनांक 11.06.2018 की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 39 से 41 पर अवलोकनार्थ संलग्न है, जिसकी समीक्षा जोन द्वारा की जानी प्रस्तावित है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 में परिधि नियंत्रण पट्टी तथा मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार यू-2 में स्थित है व उक्त खसरे में एच.टी लाईन गुजरती है, जिसकी क्षमता पैरा नं. 18 अनुसार 400 के.वी. है। मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार यू-2 के डीसीआर में फार्म हाउस को 18 मीटर (60 फुट) व अधिक मार्गाधिकार अनुज्ञेय है। खसरा विशेष पर आपत्ति दर्ज नहीं है। 3. प्रारूप-7 अनुसार आवेदित खसरे में से 2 बिजली की लाईने गुजरती है जिसकी क्षमता से संबंधित जानकारी पत्रावली में संलग्न है जो संबंधित इलेक्ट्रिक जेईएन द्वारा की गई है, तथा मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 40 फीट है, जो खसरा संख्या 67 किस्म गैर मुमकिन नहर में से होकर गुजरता है। जो सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। अतः नहर पर से रास्ते के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 400 के.वी. एच.टी. लाईन हेतु 52 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू आवश्यक है साथ ही सेफटी कोरिडोर उपरान्त रोड प्रस्तावित की जानी है अथवा नहीं के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त प्रकरण में एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 एवं डीसीआर अनुसार 60 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है परन्तु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.03.2018 के अनुसार

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

			<p>फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) हेतु न्यूनतम 30 फीट सडक के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार न्यूनतम पहुंच मार्ग 30 फीट के स्थान पर मौके पर उपलब्ध 40 फीट सडक रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी. लाईन का मौका स्थिति अनुसार ले-आउट प्लान पर सत्यापन करते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 400 के.वी. एच.टी. लाईन हेतु 52 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू रखा जावे। तथा सेफ्टी कोरिडोर उपरान्त 40 फीट सडक रखी जावे। साथ ही एक अन्य रिद्युत लाईन की स्थिति एवं क्षमता जोन से प्राप्त की जावे।</p> <p>3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में जोन स्तर पर विधिक परीक्षण करवा कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में सिंचाई विभाग से आवेदित भूमि के नदी के एच.एफ.एल से प्रभावित होने अथवा नहीं होने बाबत टिप्पणी/अनापत्ति प्राप्त की जावे।</p> <p>5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमांडकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे, ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p> <p>9. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्री न की जावे।</p>
31.	31	<p>राजस्व ग्राम मथानिया II के खसरा संख्या 876 के रकबा 37.07.00 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग (योजना) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती उमा जैन पत्नी श्री श्याम कुम्भट (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदक द्वारा कुल रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा में से 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि हेतु आवेदन किया गया है राजस्व जमाबंदी अनुसार आवेदक द्वारा 44 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व में ही बेचान की जा चुकी है जिसके पश्चात् आवेदक के पास 40 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही शेष बचती है। राजस्व तहसीलदार तिवरी, जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक की शेष रही भूमि रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्त की जा चुकी है जिसका इन्दाज राजस्व जमाबंदी में दर्ज नहीं है तत्पश्चात् आवेदक की शेष भूमि 37 बीघा 7 बिस्वा भूमि ही शेष बचती है जबकि आवेदक द्वारा 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ योजना हेतु आवेदन किया है। आवेदित भूमि जोधपुर-ओसिया 100 फीट बाईपास सडक पर स्थित है। तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पर सेड, पानी का हौज, मकान, मन्दिर, मशीन घर बना हुआ है एवं टयूबवेल भी खुदे हुए हैं। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण रास्ते के पास रेल्वे लाईन स्थित है।</p> <p>2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उलेखानुसार तहसीलदार तिवरी की रिपोर्ट दिनांक 27.06.18 अनुसार 40.17 बीघा में से 3.10 बीघा भूमि अवाप्त की जा चुकी है। अतः मेरा आवेदन 37 बीघा 07 बिस्वा का माना जावे जिसका आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। उक्त के समबद्ध में जोन स्तर से परिक्षण उपरान्त टिप्पणी अपेक्षित है। साथ ही प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदित भूमि के दक्षिण में रेल्वे लाईन से मुख्य रोड पर भूमि में से गांव वालों के आने जाने के लिए 15 फीट रास्ता समर्पित करने का उल्लेख किया गया है। तदनुसार मानचित्र अनुमोदन करने का निवेदन किया।</p> <p>3. पत्रावली के पैरा संख्या 03 पर अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान, 2023 से बाहर है व पैरा संख्या 11 पर अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान-2031 प्रारूप अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 40 फीट मार्गाधिकार पर कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञेय है।</p> <p>4. आपत्ति सुझाव विश्लेषण अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 463 व 474 दर्ज है। खसरा विशेष पर आपत्ति दर्ज नहीं है। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>5. उक्त भूमि जोधपुर-फलोदी रेल्वे लाईन के समीप स्थित है। रेल्वे सीमा के पूर्व दिशा में एवं आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार तथा रेल्वे सीमा के 30 मीटर (100 फीट) के परिपेक्ष में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>6. कृषि आधारित उद्योग हेतु प्राधिकरण स्तर से मापदण्ड निर्धारित किये जा चुके हैं तदनुसार प्रकरण में न्यूनतम 10 प्रतिशत सुविधा, न्यूनतम 05 प्रतिशत पार्क, 03 प्रतिशत तक वाणिज्यिक, 05 से 15 प्रतिशत तक आवासीय, 2 भिन्न उपयोगों के 10 फीट का पाथ-वे तथा विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 05 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का प्रावधान एक स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार मानचित्र में सशोधन अपेक्षित है।</p> <p>7. आवेदक द्वारा प्रस्तावित फेसिलटी में स्कूल दर्शायी है राज्य सरकार के परिपत्र 08.07.2011 के बिन्दु संख्या 09 अनुसार सशोधन किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>8. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 23 पर सलग्न प्रारूप-7 अवलोकनिय है जिसके अनुसार कनेक्शन एच.टी लाईन से लिया गया है अतः आवेदित भूमि एच.टी लाईन से प्रभावित</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

		<p>है अथवा नहीं? इस सबध में रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुये ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित रेलवे लाईन व आवेदित भूमि के मध्य स्थित राजस्व रास्ते को 60 फीट रखा जावे। 2. कृषि आधारित उद्योग हेतु प्राधिकरण स्तर से मापदण्ड निर्धारित किये जा चुके हैं तदनुसार प्रकरण में न्यूनतम 10 प्रतिशत सुविधा, न्यूनतम 05 प्रतिशत पार्क, अधिकतम 03 प्रतिशत तक वाणिज्यिक, 05 से 15 प्रतिशत तक आवासीय, 2 भिन्न उपयोगों के मध्य 10 फीट का पाथ-वे तथा विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 05 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का प्रावधान एक स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार मानचित्र में सशोधन किया जावे। 3. प्रकरण में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे एवं इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लान्टेन्शन रखा जावे। 4. आवेदित भूमि में रेलवे सीमा से 100 फीट (30 मीटर) दूरी, जोन से मानचित्र पर अंकित करवाया जावे। 5. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के क्रम में आवेदित भूमि के दक्षिण में रेलवे लाईन से मुख्य रोड पर भूमि में से गांव वालों के आने जाने के लिए 30 फीट रास्ता रखा जाना होगा जिसमें से प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 15 फीट भूमि आवेदक की भूमि में से छोड़ी जावे। 6. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 7. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 08 के क्रम में जोन स्तर से विद्युत लाईन के संबंध में स्थिति एवं क्षमता प्राप्त की जाकर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। 8. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 07 के क्रम में स्कूल के स्थान पर फेरिलिटी लिखा जावे। 9. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस वाक्य जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन कृषि आधारित उद्योग योजना में एकल भूखण्डों का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 13. कृषि आधारित उद्योग योजना में अनुमोदित एकल भूखण्डों का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।
32.	<p>32 राजस्व ग्राम दर्ज़र के खसरा संख्या 177/4/2 के रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री भंवराराम पुत्र श्री सुरजाराम (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार औसिया जोधपुर रोड पर स्थित है। 2. पत्रावली के पैरा संख्या 03 अनुसार मास्टर डवलमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि जोधपुर-फलोदी रेलवे लाईन के उत्तर दिशा (60 मीटर) व तत्पश्चात 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु आरक्षित है। डीसीआर अनुसार आवासीय में आवासीय स्कीम को 60 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण अनुसार खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. प्रारूप-7 अनुसार कुल रकबा 22.19.10 बीघा में से 10.00.00 का आवेदन किया गया है। मूल रकबा 2 हैक्टेयर से अधिक है तथा आवेदित रकबा 2 हैक्टेयर से कम है। 4. संलग्न सर्वे प्लान पृष्ठ संख्या 25 के आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम में अप्रुण्ड स्कीम दर्शायी गयी है, तथा संलग्न खसरा प्लान की प्रति अनुसार आवेदित भूमि के उत्तरी-पूर्वी दिशा में दो कटाण मार्ग दर्शाये गये हैं। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लान्टेन्शन रखा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे। 3. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

			<p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 250 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या (XVII) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारीक सरचना सुविधार् (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावे।</p> <p>4. भूखण्ड संख्या 05, 06 व 07 के दोनों ओर सड़क लग रही है जो कि तकनीकी दृष्टी से सही नहीं है अतः उक्त में नियमानुसार सशोधन किया जावे।</p> <p>5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादाारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
33.	33	<p>राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा संख्या 583/4, 583/5 के रकबा 02.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती सुशीला पत्नी श्री रामवल्लभ वगैरह (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि न्यू नागौर रोड पर स्थित है। जोन तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर एक मकान, कमरा व स्वीमिंग पूल निर्मित है।</p> <p>2. प्रकरण बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 14.02.2018 में रखा जाकर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौका रिपोर्ट व अन्य तकनीकी परीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p> <p>3. उपरोक्त समिति के निर्णय के क्रम में पत्रावली के पैरा संख्या 34 अनुसार मौका निरीक्षण कर परीक्षण किया गया।</p> <p>4. आवेदित सड़क पर पूर्व में खसरा संख्या 516 ग्राम मण्डोर अनुमोदित है जिसमें उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' दर्शात है। उपरोक्त दोनों खसरा 516 व आवेदित खसरा 583/4, 583/5 का गूगल पर अकन कर पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17 पर संलग्न है।</p> <p>5. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान, 2023 के अंतर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। न्यू नागौर रोड मास्टर प्लान के अंतर्गत तृतीय श्रेणी (120'-160') में आती है। अतः सड़क का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 120 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 60 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादाारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
34.	34	<p>राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 363/3 के रकबा 04.06.13 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री नरसीगराम पुत्र श्री भोमाराम (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर रोड पर स्थित है। आवेदित भूमि के मौके पर तीन एल.टी. लाईन निकलती है। जिस स्वयं के खर्च पर हटाने हेतु प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार यू-3 हाईवे कॉरिडोर जोन, सड़क मार्गाधिकार व प्लानटेशन बेल्ट प्रयोजनार्थ आरक्षित है। जिसमें 100 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय है। उक्त भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2031 ड्राफ्ट अनुसार 200 फीट व तत्पश्चात् 100-100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण अनुसार खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श कर निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौड़ाई 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लान्टेशन रखा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>2. नगरीय विकास एवम् आवासन के आदेश कमांक प.3(77)नवि/3/2010पार्ट-iv जयपुर दिनांक 22.06.2017 के बिन्दु संख्या 2 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा</p>

			<p>जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोड़े जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि, भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, ऑवरहेड वॉटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।</p> <p>3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में मौके पर एल.टी लाईन की स्थिति व क्षमता जोन से प्राप्त की जाकर तदनुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ी जावे।</p> <p>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन कि जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन शैक्षणिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
35.	35	<p>राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 64 के रकबा 89 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री जवानाराम पुत्र श्री भारताराम (जोन-उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 30 फीट सड़क पर स्थित है जो कटाण राजस्थान सरकार के नाम समर्पणसुदा दर्ज है ब्रीच में खसरा संख्या 63 जो जोधपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमि है में से कुछ मीटर गुजरता है।</p> <p>2. पत्रावली के पैरा संख्या 03 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार गामीण क्षेत्र में 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर फार्म हाउस अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में उत्तर व पूर्व दिशा में क्रमशः 60 फीट व 50 फीट सड़क दर्शायी गयी है। तथा उत्तरी दिशा की 60 फीट सड़क का कुछ भाग आवेदित भूमि में दर्शाया गया है। उपरोक्त सड़कों के मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>3. प्रारूप-7 अनुसार मौके पर दो कच्चे ढालिये व मशिनघर बने हुए हैं। साथ ही दो विद्युत कनेक्शन, कृषि नलकूप तथा 11 के.वी की लाईन निकल रही है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी. लाईन की क्षमता तथा स्थिति हेतु जोन व मौका रिपोर्ट ली जाकर ले-आऊट प्लान पर सत्यापन करते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार आर.ओ.डब्ल्यू छोड़ा जावे।</p> <p>3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में जोन स्तर से सड़क के एवज में शुल्क लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p> <p>8. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</p>
36.	36	<p>राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 57/16 के रकबा 00.10.07 बीघा भूमि का आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती किरण पत्नी श्री गुणेशाराम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 40 फीट है, खसरा संख्या 57/14 व 57/15 का समर्पणनामा रास्ता प्रयोजनार्थ राज सरकार के पक्ष में दर्ज है।</p> <p>2. आवेदित भूमि मूल खसरा संख्या 57 का छोटा भाग है तथा उक्त खसरे के अन्य टुकड़े कर प्लॉटिंग की गई है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 40 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 20 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p>

H.C.F.R.

2

Shri

Shri

Shri

Shri

			<p>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
37.	37	<p>राजस्व ग्राम मोगडा कला के खसरा संख्या 267/1 के रकबा 00.12.09 बीघा भूमि का गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती सजीव राजपुरोहित पुत्र श्री ज्योतिप्रकाश राजपुरोहित (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट खसरा संख्या 267 कृषि भूमि में से स्थित है। सम्पूर्ण खसरा बड़े-बड़े भूखण्डों में विभक्त हैं जिसके मध्य 30 फीट के रास्ते छोड़े गये हैं एवं आवेदित खसरा संख्या 267/2 भूखण्ड संख्या 50 है। मुख्य पाली रोड से उक्त खसरे तक 30 फीट मार्ग प्राप्त हो रहा है।</p> <p>2. प्रारूप-7 अनुसार सम्पूर्ण खसरा बड़े-बड़े भूखण्डों में विभक्त हैं जिसके मध्य 40 फीट के रास्ते छोड़े गये हैं, एवं आवेदित खसरा संख्या 267/2 भूखण्ड संख्या 50 है। मुख्य पाली रोड से उक्त खसरे तक 30 फीट मार्ग प्राप्त हो रहा है। एप्रोच रोड 30 फीट ही उपलब्ध है।</p> <p>3. मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) के डीसीआर अनुसार आवासोपयोग में गैस गोदाम अनुज्ञेय नहीं है, तथा गैस गोदाम हेतु न्यूनतम 18 मीटर सड़क आवश्यक है।</p> <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 व 03 के क्रम में आवेदित भूमि का मास्टर प्लान अनुसार अनुज्ञेय उपयोग नहीं होने तथा नियमानुसार सम्पर्क सड़क नहीं होने के कारण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>
38.	38	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 573/2मी के रकबा 01.05.00 बीघा भूमि का आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती अल्का गोयल व अन्य (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदक द्वारा खसरा संख्या 572/2मी का आवेदन किया है उसी अनुसार नोटिस जारी किये गये हैं जबकि जमाबंदी एवं मौके अनुसार आवेदक का खसरा संख्या 573/2मी. (पुराना) तथा 573/2/6 (नया) दर्ज है तथा तहसील एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार भी उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 80 फीट कटाणी मार्ग है। मौके पर चारदीवारी निर्मित है।</p> <p>2. आवेदक द्वारा सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रोड दर्शाते हुये मानचित्र प्रस्तुत किये हैं। पूर्व में अनुमोदित प्रकरणों अनुसार सड़क का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि को तीन भाग (ए, बी व सी) में बांटा गया है, जो कि टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार नियमानुसार सही नहीं है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया :-</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ी जावे एवं प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावे इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>2. आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को मानचित्र में ए, बी, सी अलग-अलग भूखण्डों में दर्शाया है जिसे एक ही माना जावे। तदनुसार ही एकल भूखण्ड का ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
39.	39	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 252/10 के रकबा 03.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती कौशल्या मनिकार पत्नी श्री ओमप्रकाश (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार एच टी लाईन के नीचे सैफटी कॉरिडोर में से 60 फीट रोड प्राप्त हो रही है, उक्त रोड राजस्व मानचित्र में दर्ज नहीं है, परन्तु मौके पर उपलब्ध है एवं उसी अनुरूप पूर्व में तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा उक्त सड़क को 60 फीट मानते हुये औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जा चुके हैं। मौके पर सम्पूर्ण भाग पर निर्माण पाया गया।</p> <p>2. प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 132 केंवी की एच टी लाईन है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 132 केंवी हेतु 27 मीटर आर ओ डब्ल्यू आवश्यक है तथा सैफटी कॉरिडोर उपरान्त आर ओ डब्ल्यू में सड़क प्रस्तावित की जा सकती है। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2016 अनुसार 1500 वर्ग</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

			<p>मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्ड हेतु न्यूनतम 24 मी (80 फीट) सड़क आवश्यक है।</p> <p>3. आवेदक द्वारा एच.टी. लाईन के नीचे 60 फीट रोड दर्शाते हुये मानचित्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>4. आपत्ति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग विद्युत लाईन के नीचे सेप्टी-कोरीडोर (आर.ओ.डब्ल्यू) में से उपलब्ध होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के जारी होने के उपरान्त अगर कोई अनुमोदन हो तो सम्पर्क सड़क तदनुसार रखी जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</p> <p>2. उपरोक्त मार्ग पर अगर कोई राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के जारी होने के उपरान्त अनुमोदन न पाया जावे तो मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।</p>
40.	40	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 99/13 के रकबा 03.10.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती ममता बोहरा पत्नी श्री राकेश कुमार (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट कटाग रास्ता है। मौके पर एक एल.टी. इलेक्ट्रीक लाईन है। जिसके शिफ्टिंग बाबत आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदक ने प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है।</p> <p>2. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर से अधिक है तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 के अनुसार 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्ड हेतु न्यूनतम 24 मीटर (80 फीट) सड़क आवश्यक है। सड़क मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>3. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>4. प्रकरण में भू-उपयोग के संबंध में आपत्ति प्राप्त है। अतः आपत्ति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे तथा प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में एल.टी लाईन शिफ्ट होने के उपरान्त ही पट्टे जारी किये जावे इसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे।</p> <p>5. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</p> <p>6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
41.	41	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 601/59 के रकबा 01.04.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती सुगरी बानों पत्नी श्री समदर खां (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि 200 फीट मार्गाधिकार मुख्य जोधपुर-जैसलमेर बाईपास रोड पर स्थित है। तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर चारदीवारी एवं एक पट्टियों का कमरा निर्मित है तथा कबाड़ी का सामान तथा गैरेज चालू हालत में पाया गया। आवेदित भूमि एवं सड़क के मध्य से एक एल.टी. लाईन गुजर रही है।</p> <p>2. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उक्त बाई पास 200 फीट निर्धारित है तथा प्लान्टेशन बेल्ट के संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में सक्षम स्तर से 100 फीट रखे जाने का निर्णय लिया गया था।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार</p>

(Handwritten signatures and marks)

			<p>की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जावे, इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लान्टेन्शन रखा जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> एल.टी लाईन स्थिति व क्षमता जोन से प्राप्त की जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
42.	42	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 99/12 के रकबा 04.15.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री शंकरलाल व अन्य (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट कटाण रास्ता है। मौके पर एक एल.टी इलेक्ट्रीक लाईन है। जिसके शिफ्टिंग बाबत आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदक ने प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है। प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि से इलेक्ट्रीक लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता बाबत टिप्पणी ली जानी अपेक्षित है। आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण न्यूनतम 24 मी (80 फीट) सड़क आवश्यक है। सड़क के मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर प्लान में दर्ज आपत्ति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि से लगते हुए 60 फुट कटाण रास्ता दर्शाया गया है। अतः मौके पर विद्यमान रास्ते से मध्य से आवेदित भूमि की सीमा तक की दूरी बाबत टिप्पणी जोन स्तर ली जानी अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे तथा प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में एल.टी लाईन शिफ्ट होने के उपरान्त ही पट्टे जारी किये जावे इसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
43.	43	<p>राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 70/6 के रकबा 02.01.00 बीघा भूमि का औद्योगिक ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री ऋषभ शर्मा आममुख्यार श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार सुशांत लोक योजना में से 60 फीट है। आवेदित खसरा संख्या 70/6 रकबा 02.07 बीघा में से पूर्व में 0.06 बाघा का सुशांत लोक के रास्ते प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पक्ष में वकशीश की गई है। रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 31 पर संलग्न है। राजस्व नक्शा पृष्ठ संख्या 09 पर संलग्न है जिसमें सुशांत लोक की सदमित भूमि की अलग तरमीम नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में क्षेत्रफल 4000 वर्ग गज दर्शाया है परन्तु जोन चैक लिस्ट अनुसार क्षेत्रफल 3969 वर्गगज है तथा 60 फीट रोड दर्शाई गई है, एवं दक्षिण दिशा में 30 फीट रोड दर्शाई गई है। आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण न्यूनतम 24 मीटर (80 फीट) रोड आवश्यक है। प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि को सुशांत लोक योजना में से 60 फीट मार्ग उपलब्ध है।









2

			<p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 के क्रम में आवेदित भूमि नियमानुसार आवश्यक 24 मीटर सम्पर्क सड़क के अभाव में प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>
44	44	<p>राजस्व ग्राम लूणी के खसरा संख्या 787/3, 787/4 के रकबा 02.17.00 बीघा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री तेजाराम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट है जो मुख्य शिकारपुर लूणी रोड पर स्थित है। अग्र के कुछ भाग पर बगीचा लगा हुआ है, शेष आवेदित भूमि रिक्त है। पर्यटन विभाग की यूनिट प्रोजेक्ट स्वीकृति का पत्र संलग्न है। रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 27 पर संलग्न है। आगे हरित पट्टी में अन्य निर्माण है। 2. मास्टर प्लान अनुसार सड़क के मध्य से 100 फीट छोड़ा जाकर 100 फीट प्लानटेशन प्रस्तावित है। तथा डीसीआर अनुसार यू-2 में वाणिज्यिक उपयोग में होटल को 60 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौड़ाई 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जावे इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लानटेशन रखा जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
45	45	<p>राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 59/2 के रकबा 02.12.00 बीघा भूमि का व्यावसायिक सह औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- ईसराराम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के किमी 308/0 से किमी 378/115 जोधपुर पाली खण्ड तक जोधपुर जिले में किमी 308/0 से 336/400 तक के फोरलेन के निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि एवं भूमि पर विद्यमान पेड़, निर्माण संरचना का विवरण व मूल्यांकन सुची, भूमि अवाप्ति अधिकारी, अपर जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर गांव बासनी बाघेला के क.सं 05 के अनुसार खसरा संख्या 59/2 व 59/1 दोनों सरकारी भूमि बताई गई है तथा अवाप्त की कार्यवाही में सम्मिलित थे। 2. इस संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी, अपर जिला कलक्टर, तृतीय जोधपुर से दिनांक 01.08.2017 को पत्रांक 1286 के जरिये उक्त खसरे की अवाप्ति, भूमि के नक्शे की प्रति मय स्कैंच, अवाई आदेश की प्रति चाही गई जो आजदिनांक तक अप्राप्त है। कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 11 के.वी क्षमता की एल.टी लाईन समुख स्थित जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 65.3' की दूरी पर स्थित पायी गयी। मौके पर भूमि के अग्र भाग पर टीन शेड चार दीवारी एवं कमरे निर्मित है। 3. तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 08.04.2017 पृष्ठ संख्या 145 के अनुसार प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार द्वारा रियासती दर पर आवंटित की गई है। उक्त रिपोर्ट में निम्नालिखित दो नोट अंकित है :- <ol style="list-style-type: none"> 1. 0.05 बीघा भूमि एन.एच 65 की अवाप्ति प्रक्रिया में है शेष एन.एच 65 सड़क पर रूपान्तरण के लिए 57 फुट भूमि समर्पण करना होगा (132-75 =57) 2. एन.एच 65 मध्य से 40 मीटर तक भूमि समर्पण के पश्चात की रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 4. आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक सह औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया है, जिसके मानदण्ड निर्धारित किये जाने आपेक्षित है। साथ ही पत्रावली के पृष्ठ संख्या 54 पर संलग्न नगरीय विकास विभाग के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 में निम्नानुसार उल्लेख है :- 'एसबी सिविल शीट पिटिशन संख्या 13084/09 राकेश व अन्य बनाम राज्य सरकार में निजी खातेदार की भूमि पर सुविधा क्षेत्र दर्शाया गया है, उसके बराबर की भूमि छोड़ते हुये (आरक्षित) मास्टर प्लान में विधिक प्रक्रिया अपनाकर भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है, बाबत् विधिक राय दी गयी है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 59/2 रकबा 2 बीघा 12 बिसवा भूमि का स्कूल से व्यावसायिक सह औद्योगिक (ऑटो मॉबाइल शॉरूम मय बकशॉप) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।' <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में अवाप्ति संबंधी जोन स्तर पर जांच उपरान्त आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

46.	46	<p>राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283/2, 283/3 के रकबा 03.01.00 बीघा भूमि का ट्रासपोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री प्रेमराम मेंघवाल (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड 160 फीट के मार्गाधिकार पर स्थित है। आवेदित भूमि रोड मध्य से 80 फीट पर स्थित है। 2. आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन ट्रासपोर्ट उल्लेख किया गया है मास्टर प्लान में ट्रासपोर्ट उपयोग में गतिविधि स्पष्ट नहीं है। मास्टर प्लान 2031 के पृष्ठ संख्या 126 अनुसार ट्रासपोर्ट हब में ऑटो मोबाईल कम्पनियों के शोरूम, ऑटो मोबाईल मार्केट, कस्टमर केयर सेन्टर, सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, स्पेयर पार्ट्स शॉप, रिपेयरिंग शॉप, विश्राम स्थल, सामान्य दुकाने, रेस्टोरेन्ट, ट्रकों को पुन लोडिंग करने के लिए प्रतिका हेतु आईडियल पार्किंग स्थल, वेयर हाँउस एवं गोदाम, प्रशासनिक कार्यालय, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस इत्यादि विभिन्न सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित किया जावेगा। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मॉडल रेगलेशन के अनुसार विकास किया जा सकेगा। अतः समिति द्वारा उक्त उपयोग में अनुज्ञेता के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 3. प्रकरण में मूल खसरे के अन्य प्रकरण खसरा संख्या 283/8, 283/9 भी प्राधिकरण स्तर पर विचाधिन है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 160 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि प्राधिकरण के निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नही रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक चाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
47.	47	<p>राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283/8, 283/9 के रकबा 01.19.00 बीघा भूमि का ट्रासपोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री प्रेमराम पुत्र श्री बीजाराम मेंघवाल (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड 160 फीट के मार्गाधिकार पर स्थित है। आवेदित भूमि रोड मध्य से 80 फीट पर स्थित है। 2. आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन ट्रासपोर्ट उल्लेख किया गया है जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में ट्रासपोर्ट उपयोग में अनुज्ञेय गतिविधिया स्पष्ट नहीं है। मास्टर प्लान 2031 के पृष्ठ संख्या 126 अनुसार ट्रासपोर्ट हब में ऑटो मोबाईल कम्पनियों के शोरूम, ऑटो मोबाईल मार्केट, कस्टमर केयर सेन्टर, सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, स्पेयर पार्ट्स शॉप, रिपेयरिंग शॉप, विश्राम स्थल, सामान्य दुकाने, रेस्टोरेन्ट, ट्रकों को पुन लोडिंग करने के लिए प्रतिका हेतु आईडियल पार्किंग स्थल, वेयर हाँउस एवं गोदाम, प्रशासनिक कार्यालय, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस इत्यादि विभिन्न सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित किया जावेगा। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मॉडल रेगलेशन के अनुसार विकास किया जा सकेगा। अतः समिति द्वारा उक्त उपयोग में अनुज्ञेता के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 3. प्रकरण में मूल खसरे के अन्य प्रकरण खसरा संख्या 283/2, 283/3 भी प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 160 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि प्राधिकरण के निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लवित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नही रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, चाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

48	48	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 99/11 के रकबा 03.11.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- गै.पी.एम. इण्डस्टीज जरिये श्री पवन मित्तल पुत्र श्री भंवरलाल मित्तल (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट कटाणी मार्ग मुख्य सालावास सडक पर स्थित है। आवेदक ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा है। 2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। 3. पत्रावली के पैरा संख्या-12 पर उपलब्ध है जिसके अनुसार मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि मुख्य जोधपुर-सालावास रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 48 मीटर दर्शाया गया है। 4. प्रकरण में भू-उपयोग पर आपत्ति संख्या 285 व 215 दर्ज है। आपत्ति के संबध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 5. प्रकरण में मूल खसरे के अन्य प्रकरण भी प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा ज़रूरी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
49	49	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 99/15 के रकबा 05.15.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- गै.वी.एम. इण्डस्टीज जरिये श्री विष्णु मित्तल पुत्र श्री भंवरलाल मित्तल (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट कटाण रास्ता है। मौके पर एक एल.टी इलेक्ट्रीक लाईन है। जिसके शिफ्टिंग बाबत आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदक ने प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है। 2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। 3. पत्रावली के पैरा संख्या-14 पर भू-उपयोग रिपोर्ट उपलब्ध है जिसके अनुसार मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि सालावास से तनावड़ा जाने वाले कटाण मार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रश्नगत खसरा विशेष पर आपत्ति संख्या 695 दर्ज है। साथ ही अन्य आपत्तियों आपत्ति संख्या 285 व 215 दर्ज है। अतः आपत्तियों के संबध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 5. प्रकरण में मूल खसरे के अन्य प्रकरण भी प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के कम में एल.टी लाईन शिफ्ट होने के उपरान्त ही पट्टे जारी किये जावे इसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने

(Handwritten signatures and marks)

			<p>के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
50.	50	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 120/3 के रकबा 02.12.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री स्वरूपराम पुत्र श्री मंगलाराम भील (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड 100 फीट के मार्गाधिकार पर स्थित है। आवेदित भूमि में से उत्तरी दिशा में 40 फीट की भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ मौके पर उपयोग में ली जा रही है। 2. पत्रावली के पैरा संख्या-03 पर उपलब्ध है जिसके अनुसार भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है, तथा आवेदित भूमि मास्टर प्लान की 48 मीटर (160 फीट) सड़क पर स्थित है साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर (100 फीट) रोड गुजरती है। 3. प्रकरण में उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 285, 215 व 159 दर्ज है। अतः समिति द्वारा आपत्ति के संबंध में निर्णय लिया जाना है। 4. प्रकरण के समीप का अन्य प्रकरण खसरा संख्या 119/2 भी जाधपुर विकास प्राधिकरण में विचारधीन है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 160 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोड़ा जावे। साथ ही उत्तर दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्राप्त आपत्ति के परिपेक्ष में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमांडेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
51.	51	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 119/2 के रकबा 03.13.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री मनुराम पुत्र श्री स्वरूपराम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड 100 फीट के मार्गाधिकार पर स्थित है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है, तथा मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 48 मीटर (160 फीट) दर्शाया गया है। 3. प्रकरण में उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 285, 215 व 159 दर्ज है। अतः समिति द्वारा आपत्ति के संबंध में निर्णय लिया जाना है। 4. प्रकरण के समीप का अन्य प्रकरण खसरा संख्या 120/3 भी जाधपुर विकास प्राधिकरण में विचारधीन है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 160 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्राप्त आपत्ति के परिपेक्ष में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र

			<p>लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
52	52	<p>राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 65/2, 65/4 के रकबा 03.06.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री पुनाराम जागिड पुत्र श्री हरचन्द्राम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट कटाणी मार्ग है, मौके पर चार दीवारी निर्मित है। आवेदन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.07.2018 अनुसार प्लान्टेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन, ईकोसेन्सेटिव जोन व रिक्रिएशन जोन को छोड़कर समस्त उपयोगों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना को अनुज्ञेय उपयोग माना गया है। 3. आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग के मार्गाधिकार के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 09.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.07.2018 के अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत गठित प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति से प्रोजेक्ट अनुमोदन करवाया जाना होगा। 8. उक्त ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुनः समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा।
53.	53	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 93 के रकबा 1500 वर्गगज भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती रेखा देवडा पत्नी श्री राजेश देवडा (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट मुख्य सालावास रोड पर स्थित है। ग्राम सालावास के खसरा संख्या 93 रकबा 12 बीघा में से 1463 वर्गमीटर ब्लॉक संख्या 09 का संपरिवर्तन अतिरिक्त तहसीलदार लुणी के पत्रांक 341/94/2007 दिनांक 05.12.1994 को किया जा चुका है वाद संपरिवर्तन आदिनांक तक उक्त भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं किया गया है मौके पर आवेदक के ब्लॉक संख्या 09 पर चारदीवारी निर्मित है उक्त सम्पूर्ण खसरे की अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय पट्टो को यदि निर्धारित अवधि तक नियमानुसार उपयोग नहीं लिया जाने पर उक्त संपरिवर्तन को निरस्त(अप्रभावी) करने की स्थिति में उक्त खसरा संख्या 93 के पुनः कृषि भूमि घोषित होने पर उक्त खसरे की भूमि संयुक्त खातेदारी मानी जावेगी। आवेदक के पास पृथक से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख ब्लॉक संख्या 09-ए का 1254.15 वर्गमीटर है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का संपरिवर्तन भू-उपयोग बाबत प्रत्याहत अनुज्ञा सक्षम स्तर से की जाकर नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि अपेक्षित है। 2. पत्रावली के पैरा संख्या 16 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 में परिधि नियंत्रण पट्टी आरक्षित है व मुख्य जोधपुर -सालावास सड़क पर स्थित है मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित है। साथ ही पत्रावली के पैरा संख्या 89 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मुख्य जोधपुर-सालावास रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 48 मीटर दर्शाया गया है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर में पयूल फिलिंग स्टेशन को 60 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। पेट्रोल पम्प का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु यू-3 तथा रूरल डीसीआर में वाणिज्यिक उपयोग में पेट्रोल पम्प पृथक से दर्शाया गया है। अतः अनुज्ञेयता व सड़क मार्गाधिकार तथा मार्गाधिकार उपरान्त प्लान्टेशन के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(Handwritten signatures and marks)


			<p>3. उक्त गांव पर औद्योगिक प्रयोजन पर आपति संख्या 215 दर्ज है। अतः आपति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. प्रकरण पूर्व में दिनांक 21.09.2016 को इन्टर सेक्शन दूरी नियमानुसार नहीं होने के कारण प्रार्थी को सूचित किया गया जिसके सबंध में प्रार्थी द्वारा परिपत्र दिनांक 20.12.2016 संलग्न करते हुये तदनुसार कार्यवाही चाही गई है। उक्त परिपत्र के विन्दु संख्या 24 निम्नानुसार उल्लेख है " इन्टर सेक्शन की दूरी में वर्णित सड़क की चौड़ाई इन्टर सेक्टिंग सड़क ही है न कि उक्त सड़क की जिस पर पैट्रोल पम्प प्रस्तावित है। 12 मीटर एवं 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क को ही इन्टर सेक्शन माना जावेगा।"</p> <p>5. उक्त भूखण्ड संलग्न मानचित्र पृष्ठ संख्या 19 अनुसार कॉर्नर का भूखण्ड है। आवेदित भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में क्रमशः 100 फीट सड़क, 25 फीट सड़क, 25 फीट सड़क व ब्लॉक संख्या 09 दर्शाया गया है।</p> <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में पट्टे के प्रभाव में होने अथवा नहीं होने के संबंध में विधिक राय ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
54.	54	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 174/8 के रकबा 12.01.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रकरण में 90-वी दिनांक 05.07.2008 को हो चुकी है तथा भूमि न्यास के नाम हो चुकी है। मौके पर एक हॉल, अन्य पक्का निर्माण एवं जिसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन पाया गया। 2. आवेदक द्वारा पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया तत्पश्चात दिनांक 02.07.2018 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा चाहा गया, जिसकी प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 47 पर संलग्न है। 3. आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन औद्योगिक उल्लेख किया गया है मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट उपयोग में गतिविधि स्पष्ट नहीं है। मास्टर प्लान 2031 के पृष्ठ संख्या 126 अनुसार ट्रांसपोर्ट हब में ऑटो मोबाइल कंपनियों के शोरूम, ऑटो मोबाइल मार्केट, कस्टमर केयर सेन्टर, सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, रमयर पार्ट्स शॉप, रिपेयरिंग शॉप, विश्राम स्थल, सामान्य दुकाने, रेस्टोरेन्ट, ट्रकों को पुनः लोडिंग करने के लिए प्रतिक्षा हेतु आईडियल पार्किंग स्थल, वेयर हाउस एवं गोदाम, प्रशासनिक कार्यालय, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस इत्यादि विभिन्न सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित किया जावेगा। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मॉडल रेगलेशन के अनुसार विकास किया जा सकेगा। अतः समिति द्वारा उक्त उपयोग में अनुज्ञेता के सबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रारूप-7 अनुसार मौके पर एक हॉल, एवं अन्य पक्का निर्माण है, तथा आवेदित भूमि को 60 फीट पहुंच मार्ग पूर्व स्वीकृत योजना (थार ड्राईपोर्ट) से प्राप्त हो रहा है। 5. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 32 पर पूर्व में प्रस्तुत ले-आउट प्लान संलग्न है जिसमें खसरा संख्या 174/8 की भूमि को पूर्व दिशा में एन.एच. के लगते हुये दर्शाया गया है परन्तु वर्तमान में प्रस्तुत मानचित्र में एन.एच. नहीं दर्शाया गया है। साथ ही पृष्ठ संख्या 34 व 44 पर संलग्न खसरा मानचित्र में भिन्नता है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में भू-उपयोग अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
55.	55	<p>राजस्व ग्राम सरैचा, खेडा सरैचा के खसरा संख्या 446/2, 446/3, 771, 771/1 के रकबा 33.04.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती गजरा पत्नी श्री नगाराम व अन्य (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट कटाण रास्ता है। प्रकरण में दिनांक 21.08.14 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत निर्णय पारित किया जा चुका है तथा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। आवेदक द्वारा पूर्व में कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया था। अब आवेदक ने प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा पट्टा चाहा गया है। 2. पत्रावली के पैरा संख्या 25 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि रेलवे लाईन के लगती है तथा 100 फीट सड़क गुजरती है। आपति संख्या 285 व 215 दर्ज है। अतः रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी तथा आपति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 3. प्रस्तावित भूमि के सामने दर्शायी गयी सड़क का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रारूप-7 पर नोट अंकित है। जिसके संबंध में जोन स्तर से समीक्षा/टिप्पणी की जानी अपेक्षित है। 5. आवेदित प्रकरण के समीप में खसरा संख्या 446/4 भी प्राधिकरण में विचाराधीन है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क के कारण आवेदित भूमि विभाजित होने के कारण योजना मानचित्र बनाये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
56.	56	<p>राजस्व ग्राम सरैचा के खसरा संख्या 446/4 के रकबा 07.09.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री रमेश पारख पुत्र श्री हस्तीमल</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट कटाण रास्ता है। प्रकरण में दिनांक 21.08.14 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत निर्णय पारित किया जा चुका है तथा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। आवेदक द्वारा पूर्व में कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया था। अब आवेदक ने प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा

	<p>पारख आममुख्यार श्री शिवराम पुत्र श्री जोगाराम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>पट्टा चाहा गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली के पैरा संख्या 20 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि रेलवे लाईन के समीप स्थित है तथा आवेदित भूमि में से मास्टर प्लान की 100 फीट रोड गुजरती है। आपति संख्या 285 व 215 दर्ज हैं। अतः रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट अपेक्षित है। साथ ही आपति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि के दक्षिण में दर्शायी 100 फीट सड़क तथा मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क दोनों सड़कों के मध्य कुछ भाग शेष रहता है तथा अधिकांश भाग प्रस्तावित 100 फीट सड़क के उत्तर में होने से आवेदित भूमि दो भागों में विभाजित होती है जिसके फलस्वरूप दो भूखण्ड होने के कारण योजना के मापदण्ड के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रस्तावित भूमि के दक्षिण में दर्शायी सड़क का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। प्रारूप-7 पर नोट अंकित है जिसके संबंध में जोन स्तर से समीक्षा/टिप्पणी की जानी अपेक्षित है। आवेदित प्रकरण के समीप में खसरा संख्या 446/2, 446/3, 771, 771/1 भी प्राधिकरण में विचारार्थीन है। <p>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क के कारण आवेदित भूमि विभाजित होने के कारण योजना मानचित्र बनाये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
57.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 276/7, 276/8 के रकबा 03.02.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री धर्मचन्द्र मूलचन्द्र छाजेड (जोन-दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 40 फीट है। जो जोधपुर मोटर मार्चेंट एसो. की स्वीकृत योजना में से 40 फीट रोड उपलब्ध है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना को Larger Public Interest माना जाकर निम्नानुसार उल्लेख है। For the purpose of granting change in land use in above mentioned activities of larger public interest, procedure laid down in Rajasthan Urban Areas (Change in Land use) Rules, 2010 will be followed but final order for change in land use shall be issued after the approval of State Government. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.10.2017 में पत्र दिनांक 12.10.2017 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चयन किये जाने का उल्लेख है व पत्र दिनांक 12.10.2017 में निम्नानुसार उल्लेख है। "मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत आवेदित प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 20.04.2017 प्रति संलग्न व इस क्रम में जारी सशोधित आदेश दिनांक 25.04.2017 प्रति संलग्न के अनुरूप प्लानटेशन वेल्ड, ईकोलॉजिकल जोन, ईकोसेन्सेटिव जोन तथा रिक्रियेशन जोन को छोड़कर अन्य भू-उपयोगों में अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी में मानते हुये आवश्यक कार्यवाही की जावे।" <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 40 फीट रखा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.07.2018 के अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमांडेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत गठित प्रांजक अनुमोदन समिति से प्रोजेक्ट अनुमोदन करवाया जाना होगा। उक्त ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुनः समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा।
58.	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1557/1086 के रकबा 01.02.00 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट है, वासनी योजना में से उपलब्ध सड़क से हो रहा है, मौके पर तीन कमरे निर्मित है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सड़क आवश्यक है। आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक है तथा उत्तर व पश्चिम दिशा में सड़क के मध्य से 30 फीट छोड़ते हुये 60 फीट मार्गाधिकार दर्शाया है।


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

	<p>आवेदक :- श्री नरेश भण्डारी (जोन-दक्षिण)</p>	<p>3. सड़क मागाधिकार के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्राप्त आपत्ति के परिपेक्ष में समिति द्वारा उक्त आपत्ति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त समझा जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
--	--	--

अध्यक्ष महोदय को क्षमापूर्वक के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


28/8/18


(डॉ.महेन्द्र सिंह पाटील)
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


dr
(अरुण पुरोहित)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(सुखराम)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(श्रवण सिंह)
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


h
(चंचल वर्मा)
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(अनिल पुनिया)
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(राकेश शर्मा)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(श्री.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 06/2018 वीं बैठक दिनांक 23.08.2018 को प्रातः 09.30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री श्रवण सिंह उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. श्रीमती चंचल वर्मा उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
7. श्री अनिल पुनिया उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
8. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
9. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।

अध्यक्ष
संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

क्रमांक :- F37(2)/ नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/ का.वि./2018/4638-47

दिनांक:- 28/08/2018

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)